

हों। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 05.08.2019 को पेश हों।

म'
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

5.8.19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।
SDO Sb.....श्रीजिनाममा.....होने के
कारण पत्रावली वास्ते.....तलबली.....हेतु
दिनांक 5.8.2019 को पेश हों।

रीडर

5.8.2019

पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित।
वादी की तरफ से पार्थना पत्र पेश हुआ
कि पक्षकारों के मध्य सहमति से
श्रीजिनाममा हटा जाने के कारण वाद को
आगे नहीं चलाना चाहते। अतः वाद
विदा करने की अनुमति प्रदान की
जावे।


वादी के उक्त पार्थना पत्र वाद
विदा करने की अनुमति प्रदान की
जाती है।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर
में से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

म'
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Bhuj



उपखण्ड अधिकारी

30